फर्द अहकाम

बनाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़

संख्या 55/2020

संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	9/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली से संबंधित मूल वाद पत्र की मानिक तथ्य स्वीकार कर निष्पादित किया जा चुका है अतः अब त्यागित कार्यवाही पत्र को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः इस त्यागित कार्यवाही पत्र को डिक्री स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज ही सुनाया जाता गया। पत्रावली कोर्ट उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ से कम हो बाद वाद प्रविष्टि दाखिल दफ्तर हो।	

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़